न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 362/2024

अनवान : –

1. सहीराम पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– **वादी**

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. धर्माराम पुत्र देवकरण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. बनवारी पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 14/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 46/42 की कुल 12.5200 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक विद्याधर पुत्र देवकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विधाधर पुत्र देवकरण का अविवाहित लावल्द देहान्त हो चुका है व उसकी माता मीरा देवी व पिता देवकरण का भी देहान्त हो चुका है इसलिए विधाधर पुत्र देवकरण का एक मात्र वारिस धर्माराम है जो की प्रतिवादी संख्या 2 पर दर्ज है व देवकरण की कृषि भूमि पर काबिज है। वादीया के हक हिस्सा की भूमि में कुआ बना हुआ है वादी जिससे सिंचाई करता है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी व के कब्जा काश्त की भूमि में जबरिया दखल अंदाजी करता है तथा वादी कब्जा काश्त की भूमि में कुंआ को नुकसान पंहूचाना चाहता है। इसलिए वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जावे।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सहीराम पुत्र केशुराम, बनवारी पुत्र केशुराम, धर्माराम पुत्र देवकरण ने राजीनामा/सहमति पत्र इस आशय का पेश किया कि उभय पक्षकारान का उक्त वाद भूमि बाबत राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा पक्षकारान निम्नानुसार काबिज है 1. बनवारी पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ जिला चुरू कुल देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 361/2024

अनवान : –

1. सहीराम पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– **वादी**

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. धर्माराम पुत्र देवकरण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
3. बनवारी पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर/खुंईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 361 सन 2024 निर्णय दिनांक -14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है–

1. बनवारी पुत्र केशुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ जिला चुरू हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, सहीराम पुत्र केशुराम हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ जिला चुरू हाल देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना, धर्माराम पुत्र देवकरण हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार, विद्याधर पुत्र देवकरण हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह राजगढ़ खातेदार– **ग्राम ग्राम ढाणी भाम्भुआन का ख0न0 601/1 की 2.4263 हैक्ट, ख0न0 672/1516/1 की 3.8337 हैक्ट कुल 6.260 हैक्ट बारानी प्रथम**
2. गोपीराम पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 ढाणी कुम्हारान तह0 राजगढ़ हाल ढाणी भाम्भुआन खातेदार राहिन स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोरखाना– **ग्राम ढाणी भाम्भुआन का ख0न0 601/2 की 1.4687 हैक्ट, ख0न0 672/1516/2 की 3.2382 हैक्ट ख0न0 672/1516/3 की 1.5531 हैक्ट कुल 6.260 हैक्ट** यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न होता उपरोक्त [illegible] मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड [illegible] पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ......[illegible]...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:30 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर